

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्र मांक एफ.4(ई) (डी-3234 / 2013) / अलेसे-III / 4010

दिनांक:- 31/03/2022

कार्यालय आदेश

श्री दिलवार सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (दिव्यांग) कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति नोहर, हनुमानगढ़ को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.10(4)वित्त (ग्रुप-2)/76 दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंका दिनांक 09.03.2022 के आधार पर एवं वित्त (नियम) विभाग के आदेश संख्या एफ.6(6)एफडी/रुल्स/2010 दिनांक 25.04.2012 के अनुक्रम में नियमानुसार मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 600/-) प्रति माह वाहन भत्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 09.03.2022 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंका) से प्रभावी होगी।

3
(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव
cc m

क्र मांक एफ.4(ई) (डी-3234 / 2013) / अलेसे-III / 4010

दिनांक:- 31/03/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति नोहर, हनुमानगढ़।
2. श्री दिलवार सिंह, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति नोहर, हनुमानगढ़।
3. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
4. पदस्थापन सीट/निजि/रक्षित पत्रावली।

h
(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)
cc m